भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4222

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2026 को दिया जाना है

कोयला खानों में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य

4222. श्री भर्तृहरि महताबः

श्री अनूप संजय धोत्रेः

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

श्री विजय कुमार दूबेः

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री सतीश कुमार गौतमः

श्री नव चरण माझीः

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

श्री अनन्त नायकः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई श्रम संहिताओं के अंतर्गत वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणों और अधिसूचित व्यावसायिक रोग कवरेज से ओडिशा में स्थित कोयला खानों सहित कोयला खानों में विशेषकर क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खनिकों के कल्याण में वृद्धि हुई है और अनुपालन भार कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ओडिशा में परिचालित हो रही कोयला खानों सहित सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कोयला खानों में कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार की क्योंझर जैसे खनन क्षेत्रों सहित अपने परिचालन समय को पूर्ण करने जा रही खानों में कामगारों के न्यायोचित परिवर्तन के लिए कोई व्यापक योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) और (ख) : जी, हां। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिता, वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (आईआर कोड), और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड) लागू की हैं। संहिताओं ने 29 विधानों को 4 में समेकित किया है। इसके अलावा, चार श्रम संहिताएं एकल पंजीकरण, लाइसेंसिंग और रिटर्न प्रदान करती हैं, परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करती हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करती हैं और प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं और इस तरह अनुपालन बोझ को कम करती हैं।

नियोक्ताओं को कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच और परीक्षण प्रदान करना और ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड, 2020 के तहत यथा उल्लिखित अधिसूचित रोगों की घटना की रिपोर्ट उपयुक्त सरकार को देना अधिदेशित है। ये प्रावधान रोगों का शीघ्र पता लगाने और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को सक्षम बनाते हैं, चिकित्सा व्यय को कम करने में सहायता करते हैं और ओडिशा में स्थित कोयला खानों में एक स्वस्थ, अधिक उत्पादक कार्यबल के विकास का समर्थन करते हैं।

(ग) : कोयला खान विनियम, 2017 के तहत कोयला क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा विनियम लागू किए गए हैं, ताकि सभी कोयला खानों में आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी आवश्यकताओं को निर्धारित किया जा सके। ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड, 2020, जो 21 नवंबर, 2025 से लागू हुआ है, खान श्रमिकों सहित श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए काम करने की स्थिति और कार्यस्थल के वातावरण को विनियमित करता है। ये प्रावधान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सभी कोयला खानों के लिए लागू हैं।

(घ) और (ङ) : कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.01.2025 को जारी खनन योजना और खान बंद करने के दिशानिर्देशों में सामुदायिक जुड़ाव, खान बंद करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और पुनर्वास और प्रतिस्थापन (आर एंड आर) कार्यक्रमों के तहत विभिन्न पहल करते हैं। इनमें कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए सहायता और खनन प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना शामिल है।
